

1. हरमीतसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जट सिख निवासी फतेहपुर हाल टिब्बी तहसील टिब्बी।
-वादी

- बनाम
- गुलाबसिंह पुत्र जग्गासिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - वकीलसिंह पुत्र बिकरसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - जग्गासिंह पुत्र किशनसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - परसनी पत्नी ढाणासिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - सुखदेव कौर पुत्री ढाणासिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - जसविन्द्र कौर पुत्री ढाणासिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - बलवीरकौर पत्नी शेरसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - अमरसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - जलवारसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - कर्मसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - जरनैलसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
 - बलविन्द्र कौर पत्नी प्यारासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 5 आरके तहसील टिब्बी।
 - तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-प्रतिवादीगण


मुकदमा नम्बर:-290/2014

अन्तर्गत धारा:-53 आरटीए

निर्णय दिनांक:-6.6.2018

वादी की ओर से विकास शर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-चक नं.5 आरके के प.नं. 210/283 मु.नं. 30 कि.नं. 11/253 है. नहरी भूमि का तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 6.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत राठीखेड़ा में भरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. ... रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	100/-	जोड़	0

